न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)

अपील संख्याः–262/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/262)

1. भूरा पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम काला तालाब (रामपुरा) तहसील अराई जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र सुवा जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा तहसील अराई जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अराई जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, उपखण्ड अधिकारी, अराई जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.06.2022 राजस्व वाद संख्या 160/2016 (151/2020).

उपस्थितः–

1. श्री एस.पी.औझा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री अमीन काठात, जी.एस.चारण अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः– 13.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 160/2016 (151/2020) में पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के न्यायालय में (जो बाद में अंराई में उपखण्ड कार्यालय बन गया था में स्थानांतरित की गई थी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत अप्रार्थी/अपीलांट एवं राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत कर निवेदन किया। उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी, अंराई ने पूर्व मौका रिपोर्ट मंगवाई जो दिनांक 24.10.2017 को पेश हुई जिसमें पक्षकारान की बहस सुनकर पुनः प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाने हेतु निर्देशित किया जिस पर तहसीलदार अंराई ने दिनांक 6.11.2019 को मौका रिपोर्ट भेजी गई उक्त मौका रिपोर्ट को ही भेजी गई थी जिस पर अप्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका कमिशनर नियुक्त कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाए जाने बाबत दिनांक 27.11.2019 को प्रस्तुत किया गया जिस पर उसी दिन बहस सुनकर पूर्व में दो रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के आधार पर पुनः रिपोर्ट मंगवाए जाने का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ ने अस्वीकार कर दिया-

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

गया। दौराने उपखण्ड अधिकारी अंराई न्यायालय बन जाने के कारण प्रकरण की पत्रावली को वहां स्थानांतरित कर दी गई, तथा उपखण्ड अधिकारी अंराई ने अपने निर्णय दिनांक 17.6.2022 के द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 25.9.2019 के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 1612/1 में से 20 फुट चौडा रास्ता के अनुरूप आराजी अधिग्रहित कर वर्तमान डी.एल.सी. दर के दुगुने का प्रतिकार अपीलांट के प्रदत्त किए जाने एवं भूमि को रास्ते के रूप में तरमीम करने एवं अधिग्रहित भूमि को गैर मुमकिन रास्ता सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 160/2016 (151/2020) में पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी अंराई के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा जो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें स्वयं को खसरा नम्बर 143/3 रकबा 8 बीघा का खातेदार होना वर्णित किया था अप्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी आराजी नम्बर 1612/1 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा आराजी का होना बताकर खसरा नम्बर 1613 जो राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन सडक के रूप में दर्ज है में होकर अपीलांट की खातेदारी आराजी नम्बर 1612/1 में से होकर रास्ता चाहा। जब कि अप्रार्थी/अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 1612/1 के पश्चात खसरा नम्बर 144 जो गैर मुमकिन नाला दर्ज है और उसमें पानी भरा रहता है इसलिए प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या1 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था क्योंकि गैर मुमकिन नाले मे से रास्ता दिया ही नहीं जा सकता और उसके बगैर रेस्पोडेंट संख्या 1 अपील आराजी में पहुंच ही नहीं सकता है। उपखण्ड अधिकारी अंराई ने तहसीलदार अंराई की मौका रिपोर्ट क्रमांक 3002 दिनांक 25.9.2019 के रिपोर्ट पर उक्त कार्यवाही संपादित की गई है जबकि दिनांक 25.9.2019 का तहसीलदार का फारवर्डिंग लेटर है। जिसमें संलग्न नजरी नक्शा एवं संयुक्त पटवारी रिपोर्ट पटवारी हल्का केबानिया व पटवारी हल्का लाम्बाई की तैयार की गई मौका रिपोर्ट को संलग्न कर भेजी गई और उक्त रिपोर्ट केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जिसकों उपखण्ड अधिकारी, अंराई ने तहसीलदार अंराई की रिपोर्ट होना मानकर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जब कि काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत आई.एल.आर से निम्न स्तर का कर्मचारी की रिपोर्ट मान्य नहीं है। या तो आई.एल.आर अथवा तहसीलदार स्वयं रिपोर्ट बनाएगे और उसी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी इस प्रकार नियम 69 के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में कानूनी भूल की गई है। अपीलांट की आराजी नम्बर 1612/1 में से रेस्पोडेंट संख्या 1 कभी भी अपने खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 143/3 में आने जाने हेतु प्रयोग में नही लिया गया क्योंकि वह व अन्य खातेदार आराजी खसरा नम्बर 1613 गैर मुमकिन रास्ते में से होकर अपनी खातेदारी में नाले के पास से होकर आराजी में आते जाते है और वही एक मात्र सभी खातेदार रास्ते का उपयोग करते है सुविधा के लिए रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता जहां पूर्व में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो तो वे उसी रास्ते का उपयोग किया जाएगा इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी अंराई ने रेस्पोडेंट

राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

संख्या 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट की आराजी नम्बर 1612/1 में से 20 फुट रास्ता दिए जाने में भूल की है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट की आराजी खसरा नम्बर 143/3 ग्राम केबानिया में पडती है तत्पश्चात खसरा नम्बर 144 जो ग्राम केबानिया में गैरमुमकिन नाले में दर्ज हे तथा अप्रार्थी/अपीलांट की आराजी नम्बर 1612/1 ग्राम अंराई में अवस्थित है इस प्रकार दोनों के गांव भिन्न-भिन्न हे और प्रार्थी/रेस्पोडेंट की आराजी के पश्चात गैर मुमकिन नाला है और गैर मुमकिन नाला को बंद करके रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी अंराई ने रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने में भूल की है। पानी की आवक व निकासी को नहीं रोका जा सकता इस संदर्भ में अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण द्वारा ऐसे सभी खातेदारों के विरूद्ध जो पूर्व में आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाला थी और विभिन्न लोगों को खातेदारी दे दी गई उसको निरस्त करवाने के लिए हजारो रेफरेंन्स प्रकरण स्वीकार करके पुनः गैर मुमकिन नदी, नाला, तालाब दर्ज करने के आदेश पारित किए है और पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 144 गैर मुमकिन नाला दर्ज है। केवल खसरा नम्बर 143/3 को खसरा नम्बर 1613 गैर मुमकिन सडक से जोडने के लिए उक्त अवैधानिक कार्यवाही संपादित की गई है जो चलने योग्य नहीं थी इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, अंराई ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आदेश अंतर्गत अपील पारित की है। उपखण्ड अधिकारी ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 से 71 की पालना नहीं किए जाने से पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारीख अंराई का निर्णय पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पारित है साथ ही साथ मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेंट संख्या 1 को नाजायल लाभ देते हुए पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि नाले पर प्रार्थी सत्यनारायण अपने निजी खर्चे से पुलिया बनाकर रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे यह प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 को खसरा नम्बर 1613 से जोडने के लिए उक्त अविधिक कार्यवाही संपादित की गई है, इसलिए उपखण्ड अधिकारी अंराई का निर्णय दिनांक 17.6.2022 निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 160/2016 (151/2020) में पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अप्रार्थी के कब्जे व काश्त की एकल खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम के बानिया पटवार हल्का केबानिया भू.अ.नि लाम्बा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 64 पुराना 61 खसरा संख्या 143/3 रकबा 08 बीघा स्थित है। उक्त भूमि के पूर्व दिशा में प्रार्थी की ग्राम अंराई पटवार हल्का अंराई जिला अजमेर में स्थित है भूमि जिसके खसरा संख्या 1612/1 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा में से उक्त के अडता हुआ पूर्व दिशा में स्थित खसरा संख्या 1613 अंराई दादिया अजमेर जाने वाली सड़क से आता-जाता रहा है उक्त रास्ता का नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसको नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी के द्वारा इस वर्ष अप्रार्थी को हैरान परेशान करने पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की प्रार्थी की भूमि में से जुताई

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

बुवाई जुलाई 2016 में करना चाहने पर प्रार्थी के द्वारा बाधा उत्पन्न करने के द्वारा बाधा कारित की। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को जुताई व बुवाई नहीं करने दी गई जिसके कारण अप्रार्थी की उक्त भूमि की जुताई व बुवाई नहीं हो पाई और वह भूमि पडत रह गई तथा अप्रार्थी उक्त भूमि को काश्त नहीं कर पाया और उक्त भूमि का उपयोग करने से वंचित रह गया। अप्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर आने जाने के लिए प्रार्थी का नक्शा संलग्न है जो कि रास्ता सुगम व निकटतम है उक्त रास्ता से ही अप्रार्थी भूमि पर पूर्व मे आता जाता रहा है उक्त रास्ता के अलावा अप्रार्थी की कृषि आराजी में आने जाने का और कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है, यह कि वर्तमान युग मशीनरी का युग है जिससे फसल का समुचित उपयोग लेने हेतु तथा समय समय पर अच्छी उपज लेने हेतु एवं समय पर जोत व कटाई हेतु मशीनरी का जाना आवश्यक है। मशीनरी के आने जाने हेतु कम से कम 30 फीट रास्ते का होना आवश्यक है इस कारण ग्राम अंराई तहसील अंराई में स्थित खसरा संख्या 1613 से प्रार्थी 1612/1 रकबा 25 बीघा 1 बीस्वा में से अप्रार्थी के द्वारा संलग्न नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया रास्ता 30 फुट चौडाई का रास्ता दिया जाना आवश्यक है तथा उक्त का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना आवश्यक है। यह है कि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थी को प्रार्थी की वर्णित खातेदारी की कृषि आराजी भूमि खसरा संख्या 1612/01 में से रास्ता लेने का विधिक अधिकार है तथा उक्त रास्ता की भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज करवाकर उक्त की तरमीम नक्शा ट्रेस में करवाने का विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी वर्णित भूमि के पूर्व दिशा में नाला है जिसके खसरा संख्या 144 है उक्त नाला को ही ग्राम अंराई तहसील अंराई नाला सुखा है तथा कभी कभार वर्षा के समय पर भरा रहता है उक्त नाले में से होकर अप्रार्थी अपनी भूमि पर आता जाता रहता है जिसमें अप्रार्थी के किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं रहती है। अप्रार्थी के द्वारा इस नाले तक ही रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थी उक्त चाहे गए रास्ते की भूमि की नियमानुसार राशि प्रार्थी को देने के लिए तत्पर है।अतः अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1612/1में से रास्ता लेने का विधिक अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज करवाकर उक्त की तरमीम नक्शा ट्रेस करने के अधिकारी है। अतः उन्हें इस प्रकरण में पक्षकार बनया गया है। अप्रार्थी का निवेदन है कि वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 143/3 पर ग्राम अंराई तहसील अंराई में स्थित गै0मु0 सडक जिसका खसरा संख्या 1613 से प्रार्थी की ग्राम अंराई तहसील अंराई में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1612/01 रकबा 25 बीघा 01 बीस्वा में से होकर नाले तक रास्ता जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शित किय गया है उक्त रास्ता कायम किया जाकर 30 फीट चौडे रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किए जाने के आदेश प्रदान करावे तथा उसकी तरमीम भी करने के आदेश प्रदान करावे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से भी यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के खातेदारी की ग्राम केबानिया स्थित कृषि आराजी 143/3 रकबा 08 बीघा पर आवागमन हेतु प्रार्थी की ग्राम अंराई स्थित कृषि आराजी 1612/1 के अतिरिक्त अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है तथा तहसीलदार, अंराई की मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता दिया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया व तहसीलदार को आदेश दिए गए कि वे अप्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

की खातेदारी की ग्राम केबानिया स्थित आराजी खसरा संखय 143/3 रकबा 8 बीघा मे आवगमन हेतु प्रार्थी की ग्राम अंराई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1612/1 रकबा 25 बीघा 01 बीस्वा में से मौका रिपोर्ट क्रमांक 3002 दिनांक 25.9.2019 के अनुसार ग्राम अंराई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1612/1 में से 20 फीट चौडे रास्ते के अनुरूप ग्राम अंराई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1612/1 में से 20 फीट चौडे रास्ते के अनुरूप भूमि अधिग्रहित कर वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी दर के दुगुने का प्रतिकर जरिए रजिस्टर्ड डी0डी0 प्रार्थी को अप्रार्थी के द्वारा प्रदत्त किए जाने पर उक्त भूमि की रास्ते के रूप में तरमीम करे तथा अधिग्रहित भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता सिवायचक दर्ज करे। प्रकरण में दो बार मौका रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी है तथा दोनो बार ही प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक पहुँचने हेतु कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं होना बताया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि रिकार्डेड खातेदार को वैकल्पिक रास्ते के अभाव में अपने खेत जोत कृषि सम्बन्धी कार्य करने हेतु रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में आर0आर0टी0 2017 (2) न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 143/3 आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं हैं। अतः अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खरारा नम्बर 1612/1 रकबा 25 बीघा 1बिस्वा में से रास्ते दिये जाने का प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 01 वर्तमान अपीलांट की खातेदारी में से नया रास्ते दिये जाने के आदेश दिये है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01व अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट की कृषि भूमि के मध्य खसरा नम्बर 144 गैरमुमकिन नाला है जिसमें ग्राम अंराई के कोडिया सागर तालाब में पानी जाता है जो कि तालाब का फीडर हैं। चूँकि मौके पर मौजूद नाला सिंचाई विभाग की एक फीडर के रूप में तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय परिप्रेक्ष्य में जल भूमियॉ/केंचमेन्ट एरिया से सम्बन्धित प्रकरणों में सिंचाई विभाग/जल संसाधन विभाग से ऐसे प्रकरणों में अनापत्ति या सहमति प्राप्त कर ही रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाने चाहिए थे किन्तु प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा सिंचाई विभाग आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनो मौका रिपोर्ट आई.एल.आर. से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा मौका रिपार्ट तैयार की गई है जिससे स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(सरकारी)नियम 69 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई।अतः उपरोक्त दोनो ही मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.6.2022 को निरस्त किया जाकर अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य प्रतीत होने से उक्त अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 160/2016 (151/2020) में पारित आदेश दिनांक 17.06.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में खसरा संख्या 144 जो की एक सिंचाई विभाग का फीडर है अतः सिंचाई विभाग/जल संसाधन विभाग को पक्षकार संयोजित कर उनसे उक्त रास्ते बाबत् आपत्ति/सहमति प्राप्त कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(सरकारी)नियम 69 की पालना सुनिश्चित कर प्रकरण का गुणावगुण पर दो माह में निस्तारण करें तथा उक्त प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान को प्रकरण के निस्तारण तक विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत किए गए रास्ते की भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner